

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

मांग संख्या 86

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	23222.00	321045.84	344267.84	17390.70	339657.30	357048.00	21947.59	334389.11	356336.70	30047.98	332325.18	362373.16
वसूलियां	-11148.28	-57133.84	-68282.12	-11631.85	-67416.15	-79048.00	-13909.75	-61908.15	-75817.90	-14955.97	-60084.03	-75040.00
प्राप्तियां
निवल	12073.72	263912.00	275985.72	5758.85	272241.15	278000.00	8037.84	272480.96	280518.80	15092.01	272241.15	287333.16
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	155.46	1.77	157.23	167.00	2.91	169.91	168.09	2.91	171.00	176.04	4.00	180.04
2. वास्तविक वसूलियां (स्था.)	-0.10	...	-0.10
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	155.36	1.77	157.13	167.00	2.91	169.91	168.09	2.91	171.00	176.04	4.00	180.04
केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं												
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण												
3. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण												
3.01 एनएचएआई में निवेश	...	167393.24	167393.24	...	168464.00	168464.00	...	169371.00	169371.00	...	170266.00	170266.00
3.02 केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि को अंतरण	...	2400.00	2400.00	...	3464.00	3464.00	...	3571.00	3571.00
3.03 सीआरआईएफ से पूरा किया गया एनएचएआई निवेश	...	-2394.94	-2394.94	...	-3464.00	-3464.00	...	-3571.00	-3571.00
3.04 स्थायी पुन शुल्क निधि (पीवीएफएफ) में अंतरण	...	25000.00	25000.00	...	30000.00	30000.00	...	30000.00	30000.00	...	33000.00	33000.00
3.05 पीवीएफएफ से पूरा किया गया एनएचएआई निवेश	...	-25000.00	-25000.00	...	-30000.00	-30000.00	...	-30000.00	-30000.00	...	-33000.00	-33000.00
3.06 राष्ट्रीय राजमार्ग निधि के सुद्रीकरण के लिए अंतरण	...	10000.00	10000.00	...	15000.00	15000.00	...	15000.00	15000.00	...	15000.00	15000.00
3.07 राष्ट्रीय राजमार्ग सुद्रीकरण निधि से पूरा किया गया एनएचएआई निवेश	...	-10000.00	-10000.00	...	-15000.00	-15000.00	...	-15000.00	-15000.00	...	-15000.00	-15000.00
निवल	...	167398.30	167398.30	...	168464.00	168464.00	...	169371.00	169371.00	...	170266.00	170266.00
सड़कें एवं पुल												
4. सड़क निर्माण कार्य												
4.01 सड़क स्कंध के अंतर्गत कार्य	...	72184.27	72184.27	...	78349.00	78349.00	...	78774.00	78774.00	...	78295.00	78295.00
4.02 कार्यक्रम घटक	...	1600.07	1600.07	...	1549.00	1549.00	...	1313.00	1313.00	...	1310.00	1310.00
4.03 ईएपी घटक	...	3633.13	3633.13	...	3898.19	3898.19	...	3035.00	3035.00	...	2291.00	2291.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026			
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	
4.04	केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) से वित्तपोषित राज्यीय योजनाएं	8344.84	...	8344.84	8493.21	...	8493.21	8493.21	...	8493.21	9342.53	...	9342.53
4.05	सीआरआईएफ से वित्तपोषित संघ-राज्य क्षेत्रीय स्कीमें	216.61	84.78	301.39	176.74	360.05	536.79	176.74	360.05	536.79	194.42	396.06	590.48
4.06	सीआरआईएफ से वित्तपोषित योजनाएं अंतर-राज्यीय एवं आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण सड़कों के लिए अनुदान	...	258.57	258.57	...	250.00	250.00	...	150.00	150.00	...	150.00	150.00
4.07	विकास, आयोजना, गुणवत्ता आश्वासन, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण - सीआरआईएफ से वित्तपोषित	70.21	...	70.21	79.00	...	79.00	119.00	...	119.00	219.00	...	219.00
4.08	सीआरआईएफ से वित्तपोषित-राष्ट्रीय राजमार्गों का अनुरक्षण-	2518.56	...	2518.56	2600.00	...	2600.00	4710.00	...	4710.00	4595.00	...	4595.00
4.09	राष्ट्रीय निवेश निधि से पूर्वोत्तर क्षेत्रों में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम (एस.ए.आर. डी. पी .)	...	10561.61	10561.61	...	13508.00	13508.00	...	8000.00	8000.00	...	11000.00	11000.00
4.10	एनईआर के लिए एसएआरडीपी जीवीएस से वित्तपोषण	...	8579.90	8579.90	...	5830.00	5830.00	...	11445.00	11445.00	...	8499.09	8499.09
4.11	केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) को अंतरण	11404.12	8725.13	20129.25	5348.95	5414.15	10763.10	7498.95	5307.15	12806.10	14350.95	1054.03	15404.98
4.12	केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) से पूरा किया गया	-10879.93	-8626.97	-19506.90	-11348.95	-5414.15	-16763.10	-13498.95	-5307.15	-18806.10	-14350.95	-1054.03	-15404.98
4.13	राष्ट्रीय निवेश निधि में अंतरण	...	10565.00	10565.00	...	13508.00	13508.00	...	8000.00	8000.00	...	11000.00	11000.00
4.14	राष्ट्रीय निवेश निधि से पूरा किया गया	...	-10561.61	-10561.61	...	-13508.00	-13508.00	...	-8000.00	-8000.00	...	-11000.00	-11000.00
	<i>निवल</i>	<i>11674.41</i>	<i>97003.88</i>	<i>108678.29</i>	<i>5348.95</i>	<i>103744.24</i>	<i>109093.19</i>	<i>7498.95</i>	<i>103077.05</i>	<i>110576.00</i>	<i>14350.95</i>	<i>101941.15</i>	<i>116292.10</i>
सड़क परिवहन एवं सुरक्षा													
5. अनुसंधान, प्रशिक्षण, अध्ययन और अन्य सड़क सुरक्षा योजनाएं													
5.01	सीआरआईएफ से वित्तपोषित योजनाएं	247.79	28.37	276.16	242.90	30.00	272.90	370.80	30.00	400.80	565.02	30.00	595.02
5.02	सीआरआईएफ को अंतरण	249.00	30.00	279.00	242.90	30.00	272.90	370.80	30.00	400.80	565.02	30.00	595.02
5.03	सीआरआईएफ से पूरा किया गया	-247.79	-28.37	-276.16	-242.90	-30.00	-272.90	-370.80	-30.00	-400.80	-565.02	-30.00	-595.02
	<i>निवल</i>	<i>249.00</i>	<i>30.00</i>	<i>279.00</i>	<i>242.90</i>	<i>30.00</i>	<i>272.90</i>	<i>370.80</i>	<i>30.00</i>	<i>400.80</i>	<i>565.02</i>	<i>30.00</i>	<i>595.02</i>
6. महिला सुरक्षा संबंधी योजना													
6.01	सार्वजनिक सड़क परिवहन पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए योजना	15.41	...	15.41	40.00	...	40.00	40.00	...	40.00	40.00	...	40.00
6.02	निर्भया निधि से वित्तपोषित	-15.41	...	-15.41	-40.00	...	-40.00	-40.00	...	-40.00	-40.00	...	-40.00
	<i>निवल</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>
जोड़-सड़क परिवहन एवं सुरक्षा													
7. वास्तविक वसूलियां		-5.05	-521.95	-527.00
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं		11918.36	263910.23	275828.59	5591.85	272238.24	277830.09	7869.75	272478.05	280347.80	14915.97	272237.15	287153.12
कुल जोड़		12073.72	263912.00	275985.72	5758.85	272241.15	278000.00	8037.84	272480.96	280518.80	15092.01	272241.15	287333.16
ख. विकास शीर्ष आर्थिक सेवाएं													

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
1. सड़क और पुल	2921.42	...	2921.42	2679.00	...	2679.00	4829.00	...	4829.00	4814.00	...	4814.00
2. सड़क परिवहन	248.99	...	248.99	242.90	...	242.90	370.80	...	370.80	565.02	...	565.02
3. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	155.36	...	155.36	167.00	...	167.00	168.09	...	168.09	176.04	...	176.04
4. सड़क और पुलों के लिए पूंजीगत परिव्यय	...	263880.23	263880.23	...	252870.24	252870.24	...	253003.05	253003.05	...	252708.06	252708.06
5. सड़क परिवहन के लिए पूंजीगत परिव्यय	...	30.00	30.00	...	30.00	30.00	...	30.00	30.00	...	30.00	30.00
6. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	1.77	1.77	...	2.91	2.91	...	2.91	2.91	...	4.00	4.00
जोड़-आर्थिक सेवाएं	3325.77	263912.00	267237.77	3088.90	252903.15	255992.05	5367.89	253035.96	258403.85	5555.06	252742.06	258297.12
अन्य												
7. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	8493.21	...	8493.21	2493.21	...	2493.21	2493.21	...	2493.21	9342.53	...	9342.53
8. संघ राज्य-क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	254.74	...	254.74	176.74	...	176.74	176.74	...	176.74	194.42	...	194.42
9. पूर्वोत्तर क्षेत्रों संबंधी पूंजीगत परिव्यय	19338.00	19338.00	...	19445.00	19445.00	...	19499.09	19499.09
जोड़-अन्य	8747.95	...	8747.95	2669.95	19338.00	22007.95	2669.95	19445.00	22114.95	9536.95	19499.09	29036.04
कुल जोड़	12073.72	263912.00	275985.72	5758.85	272241.15	278000.00	8037.84	272480.96	280518.80	15092.01	272241.15	287333.16

	बजट सहायता			आं. ब. बा. सं.			जोड़			(₹ करोड़)		
	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
1. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	167393.24	...	167393.24	168464.00	...	168464.00	169371.00	...	169371.00	187803.00	...	187803.00
जोड़	167393.24	...	167393.24	168464.00	...	168464.00	169371.00	...	169371.00	187803.00	...	187803.00

रोपवे का विकास, एक्सप्रेस वे/राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्कों का विकास और सामरिक और सीमावर्ती सड़कों का विकास भी शामिल है।

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान सचिवालय व्यय के लिए है।

3. **भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण:** यह प्रावधान एक्सप्रेसवे और ग्रीनफील्ड एक्सेस कन्ट्रोल्ड कॉरिडोर से संबंधित परियोजनाओं, भारतमाला परियोजना (एनएचडीपी में शामिल) के तहत लंबित देनदारियों सहित राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए है। व्यय केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि, स्थायी पुल शुल्क निधि, राष्ट्रीय राजमार्ग निधि के मुद्रीकरण और जीबीएस से पूरा किया जाता है।

4.02. **कार्यक्रम घटक:** यह प्रावधान केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) द्वारा सड़क विंग वित्तपोषण के अंतर्गत बाह्य-सहायता-प्राप्त परियोजनाओं के लिए किया गया है।

4.01. **सड़क स्क्वैड के अंतर्गत कार्य:** यह प्रावधान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास पर व्यय के लिए है, जिसमें दो/चार लेन के कार्य, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़क संपर्क के विकास के लिए विशेष कार्यक्रम और अंतिम छोर तक संपर्क प्रदान करना शामिल है। इसमें एक या अधिक समीपवर्ती आदिवासी जिलों तक सीमित क्षेत्रों में सड़क संपर्क के विकास से संबंधित जनजातीय घटक के लिए प्रावधान भी शामिल है। इस प्रावधान में

4.03. **ईएपी घटक:** इस प्रावधान में सड़क विंग के अंतर्गत बाह्य-सहायता-प्राप्त परियोजनाओं के लिए विदेशी ऋण शामिल हैं। यह व्यय बजटीय सहायता से पूरा किया जाता है।

4.04. **केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) से वित्तपोषित राज्यीय योजनाएं:** यह प्रावधान संशोधित केंद्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के अनुसार केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में राज्य सड़कों के विकास एवं रखरखाव के वित्तपोषण के लिए है। राज्यों को केंद्रीय सड़क अवसंरचना निधि से धनराशि जारी की जाती है। हालांकि, भारत सरकार केवल संबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्राथमिकता वाली परियोजनाओं की सूची को ही मंजूरी देती है जबकि अनुमोदित सूची की परियोजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति और वित्तीय स्वीकृति संबंधित राज्य सरकार द्वारा दी जाती है।

4.05. **सीआरआईएफ से वित्तपोषित संघ-राज्य क्षेत्रीय स्कीमें:** यह प्रावधान संशोधित केंद्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के अनुसार सीआरआईएफ योजना के तहत विभिन्न संघ राज्य क्षेत्रों में यूटी सड़कों के विकास और रखरखाव के वित्तपोषण के लिए है। संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को केंद्रीय सड़क अवसंरचना निधि से धनराशि जारी की जाती है। हालांकि, भारत सरकार केवल संबंधित यूटी सरकार द्वारा निर्धारित प्राथमिकता वाली परियोजनाओं की सूची को ही मंजूरी देती है जबकि अनुमोदित सूची की परियोजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति और वित्तीय मंजूरी संबंधित यूटी सरकार द्वारा दी जाती है।

4.06. **सीआरआईएफ से वित्तपोषित योजनाएं अंतर-राज्यीय एवं आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण सड़कों के लिए अनुदान:** यह बेहतर सड़क अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए चयनित अंतर-राज्यीय और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य सड़कों के विकास के लिए है। हालांकि, वर्ष 2019 में सीआरआईएफ अधिनियम में संशोधन के बाद वर्ष 2021-22 से ईआईएंडआईएससी (आर्थिक महत्व और अंतर-राज्यीय संपर्क) योजना को बंद कर दिया गया है और इस योजना के तहत किसी नए प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है। हालांकि, योजना के तहत पहले से स्वीकृत कार्यों की लंबित देनदारियों को चुकाने के लिए ईआईएंडआईएससी योजना के तहत अभी भी आवंटन किया जा रहा है।

4.07. **विकास, आयोजना, गुणवत्ता आम्वासन, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण - सीआरआईएफ से वित्तपोषित:** इसमें सड़क विकास पर अनुसंधान एवं विकास तथा आयोजना संबंधी अध्ययन तथा भारतीय सड़क कांग्रेस और अन्य संस्थानों द्वारा संचालित किए जाने वाले प्रशिक्षणों, कार्यशालाओं व सेमिनारों पर होने वाले व्यय शामिल हैं। यह व्यय सीआरआईएफ से वित्तपोषित होता है।

4.08. **सीआरआईएफ से वित्तपोषित-राष्ट्रीय राजमार्गों का अनुरक्षण-:** यह प्रावधान मुख्य रूप से केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि से वित्तपोषित राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव एवं मरम्मत पर व्यय के लिए है। इसमें स्वच्छता कार्य योजना के अंतर्गत की जाने वाली गतिविधियाँ भी शामिल हैं। सरकार ने मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के रखरखाव को प्राथमिकता दी है और अन्य बातों के साथ-साथ जवाबदेह रखरखाव एजेंसी के माध्यम से सभी राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों की रखरखाव एवं मरम्मत सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र विकसित किया है।

4.09. **राष्ट्रीय निवेश निधि से पूर्वोत्तर क्षेत्रों में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम (एस.ए.आर. डी. पी.):** यह प्रावधान विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम, अरुणाचल प्रदेश में फ्रंटियर हाईवे और राजधानी संपर्क, जिला संपर्क, अंतरराष्ट्रीय सीमा तक संपर्क, पूर्वोत्तर क्षेत्र में सड़कों के सुधार और सुदृढीकरण सहित अन्य सड़क विकास परियोजनाओं के लिए है। इसे राष्ट्रीय निवेश कोष से वित्तपोषित किया जाता है।

4.10. **एनईआर के लिए एसएआरडीपी जीबीएस से वित्तपोषण:** यह प्रावधान विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम, अरुणाचल प्रदेश में फ्रंटियर हाईवे और राजधानी संपर्क, जिला संपर्क, अंतरराष्ट्रीय सीमा तक संपर्क, पूर्वोत्तर क्षेत्र में सड़कों के सुधार और सुदृढीकरण सहित अन्य सड़क विकास परियोजनाओं के लिए है। इसका वित्तपोषण जीबीएस से किया जाता है।

5. **अनुसंधान, प्रशिक्षण, अध्ययन और अन्य सड़क सुरक्षा योजनाएं:** यह प्रावधान मुख्य रूप से अनुसंधान एवं विकास, प्रशिक्षण, परिवहन उद्योग पर अध्ययन, प्रदूषण जांच उपकरण, सड़क सुरक्षा कार्यक्रम, दुर्घटनाओं के पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुविधाएं स्थापित करने, पीड़ितों को प्राथमिक उपचार देने और यातायात बहाल करने के लिए क्षतिग्रस्त वाहन को हटाने, राष्ट्रीय

डेटाबेस नेटवर्क के विकास, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड के गठन, सार्वजनिक परिवहन को मजबूत बनाने आदि के लिए है। इस प्रावधान में सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को केशलेस उपचार भी शामिल है। व्यय का वित्तपोषण सीआरआईएफ से किया जाता है। सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों को कम करने की अपनी प्रतिबद्धता और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 162 के तहत कानूनी अधिदेश के अनुरूप, सरकार मोटर वाहनों के उपयोग से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को केशलेस उपचार प्रदान करने के लिए एक योजना तैयार कर रही है।

6. **महिला सुरक्षा संबंधी योजना:** यह प्रावधान सार्वजनिक सड़क परिवहन संबंधी महिला सुरक्षा के लिए है। इसका व्यय निर्भया निधि से पूरा किया जाता है।